INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP00498491033823W

e-Stamp

ए 3164/02/24

Certificate No.	:	IN-UP00498491033823W
Certificate Issued Date	:	12-Dec-2024 03:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14856204/ NAWABGANJ SADAR/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1485620497781534554935W
Purchased by	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GATA NO-43, SITUATED AT VILL-MATI, PARGANA-DEWA, TEHSIL-NAWABGANJ, BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT AMINA KHATOON AND OTHERS
Second Party	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Paid By	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,47,000 (Two Lakh Forty Seven Thousand only)

ACC TAHSIL NAWABGANJ AMBRISH KUMAR ACC No.-UP14856204 LICENCE No.-186 E-STAMP DISTT BARABANKI UP

VERIFY BY

उप निबन्धक, उ०नि० नवाबगंज, बाराबंकी (उ०प्र०)

Please write or type below this line

आमिना खातून

शहाबुद्दीन

0025129032

(2)

विक्रय-पत्र

बिक्री 49,36,000/- मालियत 49,36,000/- ई-स्टाम्प 2,47,000/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1.	भूमि का प्रकार	-	आवासीय
2.	परगना	-	देवां
3.	ग्राम	-	माती (वी कोड 1188 पृष्ठ 42)
4.	सम्पत्ति का विवरण नं0	-	43
5.	मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
6.	क्षेत्रफल	-	1129 वर्गमीटर
7.	सड़क की स्थिति	-	किसान पथ से 100मी0 से अधिक दूर

8.	अन्य	-	कच्चा चकमार्ग 9मी0 से कम चौड़ा
9.	सम्पत्ति का प्रकार	-	आवासीय प्लाट
10.	निर्मित क्षेत्रफल	-	कुछ नहीं
11.	अन्य कीमत	-	कुछ नहीं
12.	सरकारी दर	-	4,500/- प्रति वर्ग मी0
13.	प्रतिफल की धनराशि	-	49,36,000/-

आमिना खातून शहाबुद्दीन

14. चौहद्दी :-

पूरब - गाटा संख्या 70

पश्चिम- भूमि क्रेता

उत्तर - भूमि क्रेता

दक्षिण - भूमि क्रेता

प्रथम पक्ष संख्या 2 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष संख्या 1 क्रेता का विवरण
1. श्रीमती आमिना खातून पत्नी शहाबुद्दीन 2. शहाबुद्दीन पुत्र मोईनुद्दीन निवासीगण-ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। व्यवसाय-गृहिणी/कृषि। Adhar No-xxxx xxxx 3200 Pan No- GQKPK1754H Adhar No-xxxx xxxx 2048 Pan No-EXBPS6161Q Mobile-7897537655	एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 (DIN No-08242763) (Pan No-AAHFF4066A) पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी-ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच व्यवसाय- व्यापार Adhar No-xxxx xxxx 0148 M.No- 6393477103

शहाबुद्दीन

आमिना खातून

Santosh

-:::लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण:::-

हम 1. श्रीमती आमिना खातून पत्नी शहाबुद्दीन 2. शहाबुद्दीन पुत्र मोईनुद्दीन निवासीगण-ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। प्रथम पक्ष विक्रेता व एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0 पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सवलापुर जिला बहराइच द्वितीय पक्ष क्रेता हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि प्रथम पक्ष गाटा संख्या 43 रकबा 0.493हे0 जो ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसकी प्रथम पक्ष अपने निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर हैं। विवरण विक्रीत भूमि:---

गाटा सं0	रकबा	भू-स्वामित्व	विक्रीत रकबा
43	0.4930हे0	0.1848हे0	0.0924हे0
		0.0205हे0	0.0205हे
कुल		0.2053हे0	0.1129हे0

जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त भूमि को सम्पूर्ण बकदर भाग में से 1129 वर्गमी0 भूमि को स्वत्वाधिकार सहित मु0 49,36,000/- उनचास लाख छत्तीस हजार जिसके आधे 24,68,000/- रूपया चौबीस लाख अड़सठ हजार रूपया के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य जरिये RTGS के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुकी है। ---

आमिना खातून शहाबुद्दीन

अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत प्लाट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। हम प्रथम पक्ष इकरार करते है कि अब आज से हम प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लाट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं। जो चाहे करे व विक्रीत प्लाट का दाखिल खारिज करे इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत प्लाट प्रथम पक्ष क्रय की हुई/पुश्तैनी सम्पत्ति है। जिसे प्रथम पक्ष ने क्रमशः दिनांक 22.12.2010 को वही सं0 1 के क्रमांक 11766 व दिनांक 06.06.2008 को बही सं0 1 के क्रमांक 3026 के द्वारा क्रय किया था। जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसकी 50 मी0 त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है तथा 100मी0 की त्रिज्या में कोई सेगमेन्ट रोड या कोई मुख्य सड़क या अन्य सड़क व खड़न्जा मार्ग पर नहीं है।----

आमिना खातून शहाबुद्दीन

98040734

विक्रय पत्र

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 31402

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 4936000 स्टाम्प शुल्क- 247000 बाजारी मूल्य - 4936000 पंजीकरण शुल्क - 49360 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 49420

श्रीमती आमिना खातून , आमिना खातून

पत्नी श्री सलाहुद्दीन

व्यवसाय : गृहिणी

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/12/2024 एवं 12:10:55 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी .
उप निबंधक :सदर
बाराबंकी
13/12/2024

अमरेन्द्र कुमार .
निबंधक लिपिक
13/12/2024

प्रिंट करें

बिक्रीत प्लाट में कोई निर्माण नहीं है। इससे पूर्व इससे सम्बन्धित कोई इकरारनामा बय बिला कब्जा नही किया गया है। बिक्रीत प्लाट पूर्णतया आवासीय है जिसे द्वितीय पक्ष ने आवास के लिए खरीदा है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1129 वर्गमीटर है। जिसमें 1000 वर्गमी0 की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित दर 4,500/- प्रति वर्गमी0 की दर से 45,00,000/- रूपया होती है व शेष 129 वर्गमी0 की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 4,500/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर में 25 प्रतिशत घटाकर मालियत मु0 4,36,000/- रूपया होती है। इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत मु0 49,36,000/- रूपया होती है। जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या- स0वि0क0नि0-5-2756 /11-2008-500 (165)/ 2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 2,47,000/- रूपया के स्टाम्प अदा किये गये हैं। विदित हो कि विक्रीत गाटा संख्या में विक्रेता प्रथम पक्ष का अंश शेष नही है। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। बिक्रीत प्लाट में कोई स्टाम्प वाद नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भाँति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। ---

शहाबुद्दीन

आमिना खातून

आवेदन सं०: 202400898040734

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 31402 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती आमिना खातून, पत्नी श्री शहाबुद्दीन

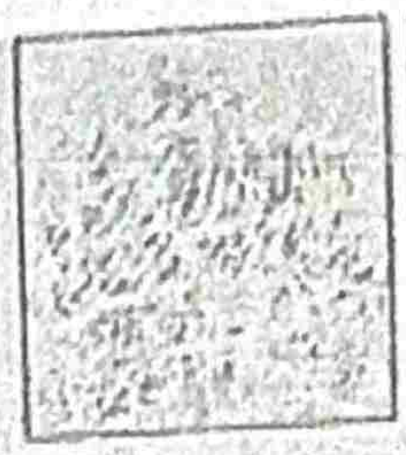
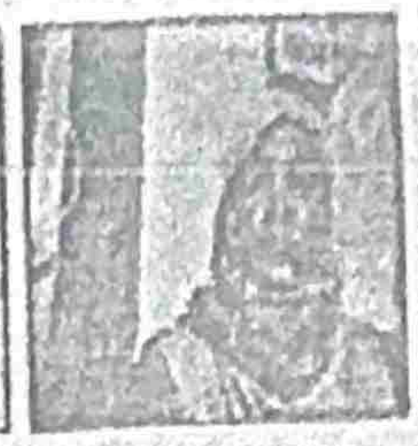

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: गृहिणी आमिना खातून

विक्रेता: 2

श्री शहाबुद्दीन, पुत्र श्री मोईनुद्दीन

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि शहाबुद्दीन

क्रेता: 1

श्री एफ०वी० इन्फ्रा डेवलपर्स एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह

निवासी: ग्राम कटहा कारीपुरवा सबलापुर जिला बहराइच।

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अखिलेश सिंह, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट खेमापुर जिला अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री मो० खालिद , पुत्र श्री मुईनुद्दीन

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य मो० खालिद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

हरीश चतुर्वेदी .
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
13/12/2024

अमरेन्द्र कुमार

जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं हैं और न ही स्थगन आदेश पारित है। लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।

दिनांक 12.12.2024

शमसुद्दीन

आमिना खातून

गवाह 1.

अखिलेश सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट खेमापुर,
जिला अम्बेडकरनगर
Adhar No- xxxx xxxx 9087
M.No- 9653030866

गवाह 2.

मो0 खालिद पुत्र मुईनुद्दीन
निवासी-ग्राम माती परगना देवा
तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी।
Adhar No-xxxx xxxx 6300
Mobile-8127718879

मसविदाकर्ता
आशीष कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट-बाराबंकी
यू0पी0 बार कौंसिल [illegible]
मो0नं0-[illegible]

चस्पा-फोटो

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

गाटा संख्या - 43

विक्रेता - श्रीमती आमिना खातून आदि

क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0

रहमतुल्ला

क्रेता

विक्रेता

आमिना खातून

रेखांकित मानचित्र

स्थित - ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी
गाटा संख्या - 43
विक्रेता - श्रीमती आमिना खातून आदि
क्रेता - एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0

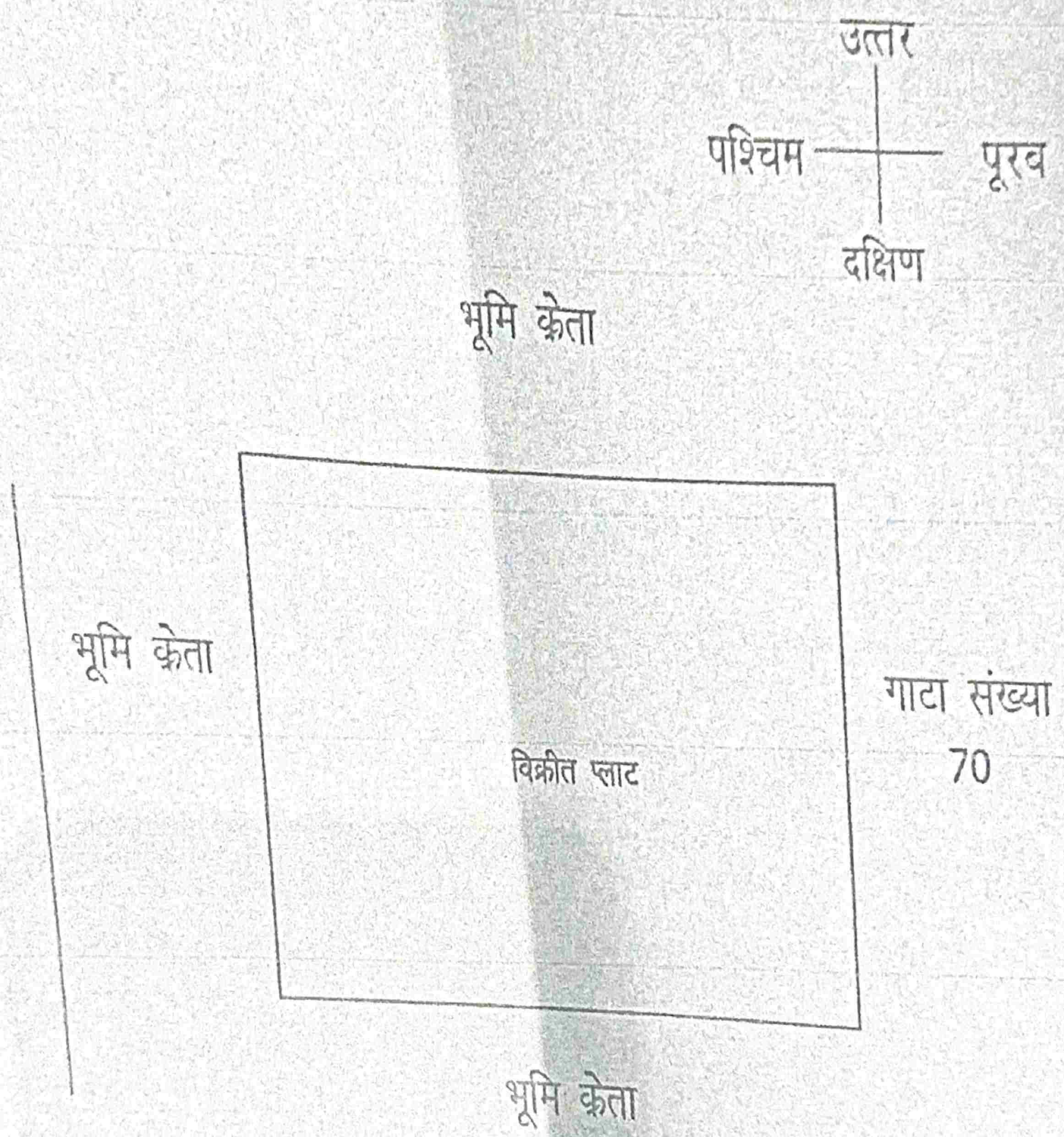

विक्रेता क्रेता

आमिना खातून

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18276 के पृष्ठ 269 से 288 तक क्रमांक 31402 पर दिनाँक 13/12/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

हरीश चतुर्वेदी .
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
13/12/2024

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी
मण्डल :अयोध्या , जनपद :बाराबंकी , तहसील :नबाबगंज
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202241248012725
वाद संख्या:- 27225/2022
श्रीमती आमिना खातून बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 31/01/2023

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत श्रीमती आमिना खातून पत्नी शहाबुद्दीन निवासी ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 16.01.2023 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00719 की गाटा संख्या 43 रकबा 0.493हे0 में से 0.1848हे0 माल गुजारी परता खाता भूमि स्थित ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 16.01.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी के नाम खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00719 की गाटा संख्या 43 रकबा 0.493हे0 में से 0.1848हे0 माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही है:-

धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्त्रगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व ग्राम का नाम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान:- श्रीमती आमिना खातून पत्नी शहाबुद्दीन निवासी ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षे0/माल गुजारी- 00719/0.493हे0/रू0 19.75

गाटा संख्या/आवेदित अंश:- 43 रकबा 0.493हे0 मे से 0.1848हे0

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 11088-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 11088-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 0.1848हे0 पर आवासीय गतिविधियॉ प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्त्रगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 11088-00 चालान सख्या आर0ए0जे0 230004285/30.01.2023 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान सख्या 5400/01 ए0पी0 00115/25.01.2023 व स्टाम्प शुल्क रू0 11088-00/29.01.2023 का ई स्टाम्प संख्या आई0 एन0-यू0पी0-19890906945137वी0 दाखिल किया गया है।

5- चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्त्रगत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 63ए0ई0 922455/30.12.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 63ए0ई0 922455/30.12.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं, जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र संलग्न है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00719 की गाटा संख्या 43 रकबा 0.493हे0 में से 0.0307हे0 माल गुजारी परता खाता को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्त्रतगत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदक का आवेदित रकबा 0.0307हे0 गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्त्रतगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 1842-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 1842-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्त्रतगत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00719 पर अशोक कुमार पुत्र लल्लू प्रसाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 43 रकबा 0.493हे0 में से 0.0307हे0 माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) उ0प्र0रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्त्रतगत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नही होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्त्रतगत कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 31 जनवरी, 2022

(बिजय कुमार त्रिवेदी)

उपजिलाधिकारी

नवाबगंज-बाराबंकी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"